



चित्रकूट-पुलिस



(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एंटी रोमियों टीमों/“शक्ति दीदी” द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरूक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व “शक्ति दीदी” अभियान के तहत आज दिनांक 25.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रों में एंटी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओं को “मिशन शक्ति” व “शक्ति दीदी” के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरूक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवैसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). आज दिनांक 25.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चैकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 13 अभियुक्तों के कब्जे से 181 अदद क्वार्टर देशी शराब मस्तीहू तथा 50 लीटर कच्ची शराब महुआ बरामद की।

(1). चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री सत्यमपति त्रिपाठी तथा उनके हमराही आरक्षी श्यामू कुमार, आरक्षी नरेन्द्र कुमार व आरक्षी दीप प्रताप द्वारा अभियुक्त रामहित पुत्र नर्वद निवासी मछरिहा चौकी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 25 अदद देशी शराब मस्तीहू के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

- (ii). आरक्षी मोनू राय तथा उनके हमराही पीआरडी लल्लू राम द्वारा अभियुक्त चुन्नीलाल पुत्र रामसिया निवासी मडैयन थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 17 अदद देशी शराब मस्तीहू के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बहिलपुरवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
- (iii). उ0नि0 श्री पवन कुमार त्रिपाठी तथा उनके हमराही आरक्षी सतीश यादव द्वारा अभियुक्त दयाशंकर गुप्ता पुत्र संतोष निवासी गोण्डा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 20 अदद देशी शराब मस्तीहू के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
- (iv). उ0नि0 श्री कन्हैया बक्श सिंह, उ0नि0 कृष्णदेव मिश्रा तथा उ0नि0 मुकेश सिंह परिहार द्वारा अभियुक्त रमेशचन्द्र पुत्र सूर्यपाल निवासी भदेउरा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 10 लीटर देशी कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
- (v). उ0नि0 श्री इमरान खान तथा उ0नि0 कृष्णदेव मिश्रा द्वारा अभियुक्त रिकू कोटार पुत्र धांधू निवासी नादिनकुर्मियान थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 21 अदद देशी पाउच शराब मस्तीहू के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
- (vi). उ0नि0 श्री प्रभाकर उपाध्याय तथा उनके हमराही आरक्षी राहुल यादव द्वारा अभियुक्त अर्जुन पुत्र स्वामी प्रसाद निवासी नादिनकुर्मियान थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 20 अदद देशी क्वार्टर शराब मस्तीहू के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
- (vii). उ0नि0 श्री संजय सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी धरेन्द्र सिंह व महिला आरक्षी दीक्षा यादव द्वारा अभियुक्त माताप्रसाद यादव पुत्र रामप्रताप निवासी पवारी जनपद चित्रकूट को 15 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
- (viii). उ0नि0 श्री मातादीन तथा उनके हमराही आरक्षी जयनारायण पटेरिया द्वारा अभियुक्त चुन्नू पुत्र स्व0 रामसेवक आरख निवासी कादरगंज थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट हा0मु0 भोटी जनपद बांदा को 20 अदद देशी क्वार्टर शराब मस्तीहू के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
- (ix). उ0नि0 श्री रामेश्वर प्रसाद तथा उनके हमराही आरक्षी दीपेश कुमार द्वारा अभियुक्त अनिल पुत्र नारायणदास निवासी इन्द्रानगर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को एक प्लास्टिक की पिपिया में 05 लीटर कच्ची शराब महुआ के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
- (x). निरीक्षक अपराध श्री प्रभुनाथ यादव तथा उनके हमराही आरक्षी अजीजउद्दीन द्वारा अभियुक्त कृष्णकुमार वर्मा पुत्र छेदीलाल निवासी पथरौड़ा थाना जवा जिला रीवा म0प्र0 को 18 अदद देशी पाउच शराब मस्तीहू के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
- (xi). उ0नि0 श्री रामअधार यादव तथा उनके हमराही आरक्षी गोलू भार्गव व आरक्षी रंजीत यादव द्वारा अभियुक्त रामकैलाश कोल पुत्र थनई कोल निवासी किटहाई जनपद चित्रकूट को दो प्लास्टिक की पिपिया में कुल 20 लीटर कच्ची शराब महुआ के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बरगढ़ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
- (xii). उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव तथा उनके हमराही आरक्षी रोहित सिंह द्वारा अभियुक्त मोहब्बत पुत्र कैलाश बंसल निवासी विनोबा नगर थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 20 अदद देशी क्वार्टर शराब मस्तीहू के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बरगढ़ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
- (xiii). उ0नि0 श्री इमरान खान तथा उ0नि0 श्री कृष्णदेव मिश्रा द्वारा अभियुक्त प्रभुदयाल पुत्र सुग्रीव निवासी नादिन कुर्मियान थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 20 अदद पाउच देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4) पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वारंटी/वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये विशेष अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 09 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(क). उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय थाना सरधुवा तथा उनके हमराही आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार द्वारा मु0अ0सं0 434/2019 धारा 323/504/506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त रामकली पुत्र राजबहादुर यादव निवासी दरसेड़ा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ख). उ0नि0 श्री उमाशंकर यादव थाना चौकी सीतापुर तथा आरक्षी अतुल परिहार व अरविन्द कुमार मौर्य द्वारा एसटी नं0 40/18 मु0अ0सं0 16/2018 धारा 323/504/506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त रामसोतन केवट पुत्र नत्थू लाल निवासी डिलौरा सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ग). उ0नि0 श्री रामअधर सिंह थाना बरगढ़ तथा हमराही आरक्षी रोहित सिंह द्वारा मु0अ0सं0 196/2010 धारा 147/148/341/383 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त श्रीकान्त पाठक पुत्र रामअभिलाष पाठक निवासी कोलमजरा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(घ) चौकी प्रभारी शिवरामपुर उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी तथा उनके हमराही आरक्षी नरेन्द्र कुमार द्वारा मु0अ0सं0 472/2018 धारा 135 विद्युत अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त रामसुमेर पुत्र चुन्ना निवासी पथरौड़ी चौकी शिवरामपुर थाना कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ङ) उ0नि0 श्री कन्हैया बक्श सिंह द्वारा मु0अ0सं0 25/2015 धारा 279/337/429 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त रंगबाज उर्फ वीरेन्द्र पुत्र भेडेलाल निवासी रुपौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(च) उ0नि0 श्री दिनेश कुमार पाण्डेय तथा उनके हमराही मुख्य आरक्षी अशोक कुमार द्वारा मु0अ0सं0 161/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के वारण्टी अभियुक्त मम्मी उर्फ बबूली पासी पुत्र लखपत पासी निवासी देसाह मजरा शौरिया थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(छ) उ0नि0 श्री पवन कुमार त्रिपाठी तथा उनके हमराही आरक्षी सतीश यादव द्वारा मु0नं0 807/2011 मु0अ0सं0 4741/2010 धारा 323/504/506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त 1.प्रेमनारायण पुत्र कैरा पटेल 2. वकील पुत्र प्रेमनारायण निवासी गण ग्राम फाटा पुरवा मजरा रसिन थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ज) उ0नि0 श्री श्री रामकुमार द्वारा मु0नं0 112/2015 मु0अ0सं0 46/2010 धारा 138 विद्युत अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त मिठाईलाल पटेल पुत्र बुआराम निवासी मुकुन्दपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(5) आज दिनांक-25.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आकस्मिक परिस्थिति व सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था व समाज में सुरक्षित/भय मुक्त वातावरण बनाने के लिये पुलिस लाइन पेड ग्राउंड में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में थाना/चौकी के पुलिस बल द्वारा बलवा/दंगा नियंत्रण ड्रिल का पूर्वाभ्यास किया गया। इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण द्वारा दंगा नियंत्रण ड्रिल की 10 पार्टियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी एवं मुख्य आरक्षी आमोरर राम महेश द्वारा एण्टी राइट गन, गैस गन एवं पम्प एक्शन गन को हैण्डलिंग करने एवं प्रयोग करने के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से बताया गया। अधि0/कर्म0गण द्वारा विधि विरुद्ध भीड़ को तितर-बितर करने के लिए रबर बुलेट गन, लाठी चार्ज, अश्रु गैस के गोले, एंटी राइट गन, टीयर स्मॉक गन (गैस गन), हैंड ग्रेनेड, सैल आदि के प्रयोग का पूर्वाभ्यास भी किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान दंगाइयों/बलवाइयों पर प्रयोग करने वाले एंटी राइट गन, टीयर स्मॉक गन, हैंड ग्रेनेड, टीयर स्मोक सेल आदि के प्रयोग के समय बरती जाने वाली सावधानियों एवं इनके प्रयोग करने के तरीके के बारे में अवगत कराया गया ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में सिखलाए गए तरीकों से ऐसी परिस्थितियों का अच्छे से सामना किया जा सके।

दंगा नियन्त्रण मॉक ड्रिल में सूबेदार मेजर उ0नि0 श्री राकेश समाधिया, गणना प्रभारी उ0नि0 राजेन्द्र सिंह एवं समस्त थाना/चौकी प्रभारी मय थाना पुलिस बल के उपस्थित रहे।